रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 67] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 21, 1973/फाल्गुन 2, 1894
No. 67] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 1973/PHALGUNA 2, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 21st February, 1973

S.O. 103(E)/18E/IDRA/73.—Whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development, No. S O. 333(E)/18A/IDRA/72, dated the 4th May, 1972 issued under clause (b) of sub-section (i) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government has authorised the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, New Delhi, to take over the management of the industrial undertaking known as M/s. Smith, Stanistreet and Company Limited, Calcutta (hereafter in this order referred to as the industrial undertaking) for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Secton 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies, the exceptions, restrictions, and limitation subject to which the Comp anies Act, 1956 (1 of 1956) shall continue to apply to the industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the order issued under section 18A.

THE SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking
(1)	(2)
Section 166	Provision of this Section shall not apply to the industrial undertaking.
Section 169	Do.

(1)	(2)
Section 210 (1)	Do.
Section 212	Do.
Section 214	Do.
Section 217	Do.
Section 224	Do.
Section 225	Do.
Section 293	Do.

[No. F. 4/2/72-CUC.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1973

का० आ० 103(अ)/18ई०/आई० डी० आर० ए०/73.—यतः केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन जारी किए गए, भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं०का०आ० 333 (ई०)/18 ए/आई० डी० आर० ए०/72, तारीख, 4 मई, 1972 द्वारा इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली को, मैसर्स स्मिथ, स्टैनीस्ट्रीट एंड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उसमें विनिर्दिष्ट अवधि तक ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 18 ङ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वे अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमायें विनिर्दिष्ट करती है, जिनके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) औद्योगिक उपक्रम को उसी रीति से लागू रहेगा, जैसे वह धारा 18 क के अधीन जारी किए गए आदेश के जारी होने के पूर्व उसे लागू था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबंध	वे अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमायें जिनके अधीन रहते हुए स्तम्भ (1) में उल्लिखित उपबन्ध उपक्रम को लागू होंगे
(1)	(2)
धारा 166	इस धारा का उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होगा।

(1)	(2)
धारा 169	इस धारा का उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होगा ।
धारा 210(1) . .	—यथोक्त—
धारा 212	—यथोक्त—
धारा 214 . . .	—यथोक्त—
धारा 217	—यथोक्त—
धारा 224	—यथोक्त—
धारा 225	—यथोक्त—
धारा 293 . . .	—यथोक्त—

[सं० फा० 4/2/72—सी० यू० सी०]

दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973